आबकारी विभाग का नागरिक चार्टर

1—आबकारी विभाग का उद्देश्य एवं कार्यकलाप :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में वर्णित सिद्धान्त के अनुरूप प्रदेश के आबकारी प्रशासन की मौलिक नीति मद्य निषेध की नीति को प्रमुखता देते हुए यह सुनिश्चित करना है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मानक गुणवत्ता के सुरक्षित मादक पदार्थों की वैधानिक विक्री हो और इससे प्रदेश के विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अधिकतम राजस्व भी अर्जित हो सके।

प्रदेश में राजस्व अर्जन में आबकारी विभाग का प्रमुख स्थान है और पूरे प्रदेश में व्यापार कर विभाग के बाद आबकारी विभाग द्वारा अर्जित राजस्व ही सर्वाधिक है। आय के सापेक्ष आबकारी विभाग पर होने वाला कुल व्यय विभाग द्वारा अर्जित राजस्व का 1 प्रतिशत मात्र है इस प्रकार विभाग द्वारा अर्जित राजस्व का लगभग 99 प्रतिशत भाग राज्य में विकास की योजनाओं पर खर्च किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2006—2007 में विभाग द्वारा कुल 3551 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है।

आबकारी विभाग के किया कलापों में राजस्व अर्जन के साथ—साथ औद्योगिक विकास का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश, शीरा एवं अल्कोहल बाहुल्य प्रदेश है, अतः विभाग का यह प्रयास है कि अल्कोहल एवं शीरा पर आधारित उद्योग राज्य में अधिक से अधिक स्थापित किए जायें, जिससे शीरा एवं अल्कोहल जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल का प्रदेश में ही उपयोग हो सके और उद्योगों की स्थापना से अधिकाधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु आबकारी विभाग उद्योगों को शीरा एवं अल्कोहल उपलब्ध कराने, युक्त संगत कराधान तथा सुलभ लाइसेंसिंग प्रणाली निरूपित करने व शीरा तथा अल्कोहल का अवैध मदिरा निर्माण हेतु दुरूपयोग रोकने हेतु उसके नियंत्रण एवं विनियमन का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है।

2—विभागीय ढॉचा :

शासन स्तर पर आबकारी विभाग का नेतृत्व माननीय आबकारी मंत्री जी तथा प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष आबकारी आयुक्त होते हैं जो पदेन शीरा नियंत्रक भी होते हैं इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है, जहॉ आबकारी आयुक्त के अधीन दो अपर आबकारी आयुक्त क्रमशः अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) व अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास) के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त के सहायतार्थ सॅयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त एवं सहायक आबकारी आयुक्त स्तर के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं। जनपदों में जनपद स्तर पर जिला आबकारी अधिकारी के अधीनस्थ आबकारी निरीक्षकों, आबकारी सिपाहियों, प्रधान आबकारी सिपाहियों एवं लिपिकों के माध्यम से कार्य होता है। मण्डल स्तर पर उप आबकारी आयुक्त कार्यरत हैं। इसके

अतिरिक्त पूरे प्रदेश को चार जोन में विभाजित किया गया है, जिनका मुख्यालय क्रमशः वाराणसी, लखनऊ, आगरा एवं मेरठ है। यहाॅ पर सॅयुक्त आबकारी आयुक्त स्तर के अधिकारी कार्यरत हैं, जो अपने जोन में आबकारी विभाग की नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

<u>3—नयी आबकारी नीति व विभागीय नियमों/कानूनों का सरलीकरण :</u>

उत्तर प्रदेश में मदिरा व्यवसाय पर बड़े ठेकेदारों का एकाधिपत्य समाप्त करने, नये उद्यमियों एवं व्यवसायियों को मदिरा व्यवसाय में प्रवेश के अवसर उपलब्ध कराने, उपभोक्ताओं को मानक गुणवत्ता की मदिरा उचित दाम पर उपलब्ध कराने एवं प्रदेश के राजस्व में आशानुकूल वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2001—2002 में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार द्वारा नई आबकारी नीति लागू की गई है। इस नई नीति की निम्न विशेषाताएॅ हैंः—

(1) दुकानों का व्यवस्थापन नीलाम पद्धति के स्थान पर निर्धारित लाइसेंस फीस के आधार पर सार्वजनिक लाटरी/नवीनीकरण के माध्यम से किया जाता है। निर्धारित लाइसेंस फीस को वर्ष के प्रारम्भ में आवंटन के समय ही जमा कराने की व्यवस्था की गयी है।

(2) आबकारी राजस्व को मुख्यतः मदिरा के वास्तविक उपभोग व अभिकर आधारित बनाकर उसकी वसूली मदिरा की निकासी के समय आसवनी स्तर पर ही किये जाने का प्राविधान किया गया है। राजस्व वसूली व्यवस्था को सरल एवं आसान बनाने के उद्देश्य से विदेशी मदिरा पर लगने वाले व्यापार कर को भी आबकारी अभिकर में ही समाहित कर लिया गया है।

(3) मदिरा की सभी बोतलों पर आबकारी विभाग के सुरक्षा होलोग्राम लगाने की व्यवस्था की गयी है, ताकि उपभोक्ताओं व निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा अवैध एवं नकली मदिरा की आसानी से पहचान की जा सके व सुरा त्रासदियों से बचाव हो सके तथा साथ ही अभिकर से प्राप्त होने वाला राजस्व भी पूर्णतः सुरक्षित रहे।

(4) मदिरा की सभी बोतलों पाउचों पर अधिकतम विक्रय मूल्य अंकित किये जाने का प्राविधान किया गया है, ताकि उपभोक्ताओं का शोषण न हो और उन्हें उचित दाम पर मानक गुणवत्ता की मदिरा प्राप्त हो सके।

(5) मदिरा व्यवसाय को प्रतिस्पर्धात्मक एवं बाजार पर आधारित बनाया गया है व आसवनियों के मध्य स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हेतु देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु जिलेवार आवंटन के स्थान पर एक जिले में एक से अधिक आसवनियों व निजी व्यवसायियों को थोक आपूर्ति हेतु लाइसेंस दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

(6) देशी शराब के लगभग 150 करोड़ पाली पाउच प्रतिवर्ष पर्यावरण में फेंके जाने से प्रदूषण एवं पर्यावरण को हो रही अपूर्णनीय क्षति पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से पाली पाउचों में देशी शराब की आपूर्ति पूर्णतः बन्द कर दी गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभाग के नियमों/कानूनों को सरलीकृत करने एवं उन्हें जन आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा नियमों/प्रक्रियाओं का सरलीकृत करते हुए निम्न निर्णय लिये गये हैं—

1. शीरे का मूल्य नियंत्रण समाप्त किया जाना।

2. शीरे के कुल उत्पादन के 10 प्रतिशत तक अन्य प्रदेशों को शीरा निर्यात हेतु अनुमति प्रदान किया जाना व इस हेतु पासबुकें जारी कर प्रक्रिया को सरल किया जाना।

3. शीरे पर आधारित इकाइयों को पंजीकृत किये जाने व क्षमता निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही को समाप्त किया जाना।

4. अल्कोहल पर आधारित उद्योगों को आसवनीवार अल्कोहल का आवंटन न कर उन्हें केवल क्षमता निर्धारण कर पासबुक उपलब्ध कराया जाना।

5. आसवनियों में छुटपुट मरम्मत/परिवर्तन की अनुमति का अधिकार क्षेत्रीय स्तर पर उप आबकारी आयुक्त, प्रभार को दिया जाना।

6. अग्रिम बाटलिंग फीस का स्थानीय स्तर पर समायोजन व प्रक्रिया का सरलीकरण।

7. आसवनी के भीतर स्प्रिट के मेचुरेशन के प्राविधानों को संशोधित किया जाना।

8. अल्कोहल पर आधारित एफ.एल. 39, 40, 41 उद्योगों के लिए प्रतिवर्ष अनुज्ञापन नवीनीकरण के स्थान पर 5 वर्ष के लिए अनुज्ञापन नवीनीकृत किया जाना व नये अनुज्ञापन की स्वीकृति भी 5 वर्ष के लिये किया जाना।

4—आबकारी विभाग की प्रमुख उपलब्धियॉ :

विभाग द्वारा वर्ष 2001—2002 में 1968.89 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया तथा वर्ष 2006—2007 में यह 3551 करोड़ हो गया है। नयी आबकारी नीति के क्रियान्वयन के फलस्वरूप, जहॉ इस व्यवसाय पर चन्द बड़े ठेकेदारों का वर्चस्व समाप्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर लगभग 10,000 से अधिक उद्यमियों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुये हैं। अवैध मादक पदार्थो की बिक्री को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा जिला एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से निरन्तर प्रवर्तन कार्य किया जाता है व समय—समय पर विशेष अभियान भी आयोजित किये जाते हैं। नयी नीति के क्रियान्वयन व स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता की मदिरा उचित मूल्य पर सुलभ हो रही है। प्रदेश शासन की उद्योगोन्मुख नयी नीति से आकर्षित होकर प्रदेश के उद्योगों में नया पूॅजी निवेश हुआ है और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला है। पूॅजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आसवनी स्थापना हेतु नयी नीति प्रतिपादित की गयी है।

5—जन सामान्य व उपभोक्ताओं से अपेक्षाऍ :

मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है परन्तु फिर भी जो उपभोक्ता मदिरा का सेवन करते हैं, विभाग उपभोक्ताओं से निम्न बातें सर्वदा याद रखने की अपेक्षा रखता है—

1. सरकारी लाइसेंसी दुकानों के अतिरिक्त अवैध श्रोत से क्रय की गई नकली शराब का सेवन स्वास्थ्य एवं जीवन दोनों के लिए घातक हो सकता है। अतः शराब का क्रय (खरीद) सरकारी लाइसेंसी दुकान से ही करें— अवैध अड्डों से बेचे जाने वाली अवैध शराब जहरीली हो सकती है।

2. शराब क्रय करने से पूर्व यह अवश्य जॉच लें कि उसकी बोतल पर उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग का सुरक्षा होलोग्राम लगा हो, जो सही हालत में हो।

3. सुरक्षा होलोग्राम अथवा शराब की बोतल नकली होने का संदेह होने पर तत्काल जनपद के जिला आबकारी अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा जिलाधिकारी को सूचित करें।

4.	अवैध शराब की बिक्री की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अपने जनपद के जिला आबकारी अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा जिलाधिकारी को सूचित करें अथवा आबकारी आयुक्त, इलाहाबाद कार्यालय में गठित नियंत्रण कक्ष को निम्न फोन नम्बरों पर सूचित करें—

फोन (0532) 2642999, 2644936, 2642598, 2440748, 2640454, 2250490

फैक्स (0532) 2641837, 2250490, 2644166

<u>उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के सुरक्षा होलोग्राम की मुख्य पहचान :</u>

1.	लम्बाई X चौड़ाई — 50 X 15 सें0 मी0

2.	होलोग्राम चारों तरफ हल्के कटे हैं। (Zig-Zag)

3-	ऊपरी सतह (Foreground & Background) :— ऊपरी सतह पर उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो तथा गिलास व बोतल का चल चित्र जो कि गिलास में मदिरा डालने का संकेत दर्शाते हैं, एवं मछली का चल चित्र जो कि होलोग्राम को हिलाने पर अलग—अलग आकृति दिखायी देती है। निचली सतह पर इंगलिश में (COUNTRY LIQUOR & CL, IMFL or BEER or LAB) लिखा दिखायी देता है।

4.	चल चित्र (Animated, 3D Globe, Bird) :— होलोग्राम को बायें से दायें या ऊपर से नीचे हिलाकर देखने पर उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लेबल बारी—बारी से रंग बदलता है व तीन आयामी गोला चल चित्र होता नजर आयेगा।

5.	सूक्ष्म रेखाएं (Guilloche Pattern):— होलोग्राम को बायें से दायें या ऊपर से नीचे हिलाकर देखने पर उत्तर प्रदेश सरकार के लेबल में होलोग्राम के नीचे सूक्ष्म रेखाएं बारी—बारी से रंग बदलती नजर आयेंगी।

6.	रसायन लेजर प्रक्रिया (Chemical Engraving) :— लेबल के ऊपर डाली गई अलग—अलग मदिरा के प्रकार के हिसाब से कोड डाले गये हैं एवं निर्माण का वर्ष भी अंकित है।

7.	तीन चेनल प्रक्रिया (3 Channel Effect) :— होलोग्राम को बायें से दायें हिलाकर देखने पर उत्तर प्रदेश का नक्शा व मछली की आकृति का चित्र सीधा व उल्टा नजर आयेगा या तीन मछली उसी जगह पर नजर आयेगी या आबकारी व EXCISE लिखा नजर आयेगा।

8.	कोड नम्बरः— प्रत्येक होलोग्राम पर अंक/अक्षर का कोड नम्बर काले अक्षरों से तीन पंक्तियों में लिखा गया है। पहली पंक्ति वर्ष को दर्शाते हैं, दूसरी पंक्ति के अक्षर धारिता को दर्शाते हैं।

(07—08)	वर्ष
A A A	धारिता मदिरा का प्रकार
000000001	प्रत्येक होलोग्राम का नम्बर

11.	<u>**होलोग्राम का रंग :**</u>

देशी शराब — 20 % ग्रे एवं सिल्वर

25 % गुलाबी एवं सिल्वर

36 % नीला एवं सिल्वर

42.8 % हरा एवं सिल्वर

विदेशी मदिरा	—	गोल्ड (सोना) एवं सिल्वर(चॉदी)
बीयर	—	कापर(तॉबा) एवॅ सिल्वर(चॉदी)
लो अल्कोहलिक ब्रिवरेज	—	भूरा एवं सिल्वर(चॉदी)

5—जन शिकायतों का निस्तारण :

अनुज्ञापियों द्वारा विभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों के विरुद्ध अथवा थोक विक्रेताओं या आसवनियों के विरुद्ध तथा उपभोक्ताओं की अनुज्ञापियों के विरुद्ध शिकायत जनपद स्तर पर जिला आबकारी अधिकारी अथवा जिलाधिकारी से, मण्डल स्तर पर उप आबकारी आयुक्त से अथवा जोन स्तर पर सॅयुक्त आबकारी आयुक्त से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, अपर आबकारी आयुक्त, प्रमुख सचिव एवं माननीय आबकारी मंत्री जी से भी तालिका में दिये गये टेलीफोन नम्बरों पर शिकायत की जा सकती है, जिसका निराकरण विभाग द्वारा यथा सम्भव शीघ्रातिशीघ्र किया जाता है।

क0सं0	पदनाम	कार्यालय	आवास
1.	मा0 आबकारी मंत्री	2238088	2235446
2.	प्रमुख सचिव, आबकारी	2238674 2238243	2238476
3.	आबकारी आयुक्त	2642999	2424924